EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page No. 1720

Dated 9-12-2006

कर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिस्चना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 296.— केन्द्रीय सरकार, कर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शिवनयों का प्रयोग करते हुए कर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का सीक्षप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक रियोर्ट) संशोधन नियम, 2006 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2005 के नियम 5 में "वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर "वार्षिक रिपोर्ट का हिन्दी और अंग्रेजी पाठ प्रस्तुत करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

िफा. सं. 10/7/2004 - ई. एम.]

यू, एन. पॉजियार, अपर सचिव

पाद टिप्पण :- मल नियम सा.का.नि. 317 तारीख 5 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2006

G.S.R. 296.— In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bureau of Energy Efficiency (Annual Report) Rules, 2005, namely:—

- Short title and Commencement. (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Annual Report) Amendment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Bureau of Energy Efficiency (Annual Report) Rules, 2005, in rule 5, after the word "submit" the words "English and Hindi version of "shall be inserted.

[F.No. 10/7/2004-EM]

U.N. PANHAR, Addl. Secy.

Footnote: — The principal rules were published vide G.S.R. 317 dated the 5th September, 2005.